न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./03/2023/बालोतरा

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. तेजाराम पुत्र कानाराम 2. चैनाराम पुत्र कानाराम जाति प्रजापत निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	1. भूराराम पुत्र मथराजी 2. सूजाराम पुत्र मथराजी 3. अणदाराम पुत्र मथराजी जाति प्रजापत निवासी रैवाड़ा मैया तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार, पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 124/2010 बउनवान तेजाराम बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री खुशालाराम पटेल उत्तरदाता संख्या 01 से 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रैवाड़ा मैया में खेत खसरा संख्या 100 रकबा 37.02 बीघा, खेत खसरा संख्या 266/102 रकबा 14 बीघा कुल रकबा 51.02 बीघा आयी हुई है। उक्त भूमि में अपीलांट व उत्तरदातागण की पैतृक होने से जिसमें 1/2 हिस्सा मथराजी का व 1/2 हिस्सा कानाजी का था। वादीगण अपीलांट कानाजी के वारिसान हैं, तथा प्रतिवादी उत्तरदाता मथराजी के वारिसान हैं, मथरा का परिवार बड़ा होने के कारण परिवार कर्ताधर्ता था। इस कारण अपीलाधीन आराजी आवगमी अपनी खातेदारी में दर्ज करवा दी जबकि मौके पर कब्जा काश्त 1/2 हिस्से पर कानाजी का व 1/2 हिस्से पर मथराजी का था। वादीगण के उक्त भूमि में निहित विधिक हक, हित व अधिकार संशय में पड़ गये, जिसकी घोषणा हेतु वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। सन् 1986 में लोक अदालत के समक्ष उक्त भूमियों में से खसरा संख्या 100 रकबा 37.02 बीघा में से 1/2 हिस्सा वादीगण अपीलांट के नाम दर्ज करने की सहमति लिखित रूप से वादीगण का हक हिस्सा होना मंजूर कर दी। प्रतिवादी/उत्तरदाता ऐसी लिखित संस्वीकृति से बाध्य हैं। ऐसी संस्वीकृति के आधार पर रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हो सका परिणामतः रेकर्ड में मथराजी के वारिसान प्रतिवादीगण का नाम ही दर्ज रहा, इस दरमियान जमीनों के भाव आसमान छू गये इस कारण प्रतिवादीगण के मन में लोभ की प्रवृति जागृत हुई। प्रतिवादी ने भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 37.02 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार कर दी हैं, ज्यादा से ज्यादा ऐसे भूमि के अंतरण का शुल्क पंजीयन कार्यालय में जमा करवाने का निर्देश दिया जाना न्यायोचित था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को तत्कालीन अधिकारी द्वारा तस्दीक होना नहीं मान कर तथा इस प्रकरण में जबाव पेश किया। भूमि पैतृक हैं। जबाव इकबाली पेश करने का कथन किया गया हैं, साबित होना नहीं मानने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजात अपीलांट/वादीगण ने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये, ऐसे दस्तावेजात का सही रूप से न तो अवलोकन अध्ययन किया और न ही सही परिपेक्ष में पढा ही गया, मात्र लीपा पोती करने एवं निर्णीत प्रकरणों की एक संख्या बढाने हेतु अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अशुद्ध तथ्यों पर पारित किया गया। जब पक्षकारान की संस्वीकृति लिखित में हो तो ऐसे वाद में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 नियम 06 के तहत डिक्री जारी होनी चाहिए, जो तथ्य पक्षकारान के मध्य स्वीकृत हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती हैं, यही प्रावधान साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान प्रावधित है, किन्तु उक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। प्रतिवादी ने अपने बयानों में यह संस्वीकृति दी कि यह कहना कि उक्त दोनों खसरों पर हम दोनों पक्षों का 1/2, 1/2 हिस्सों पर कब्जा काश्त है। यह सही है कि प्रदर्श 1 व 2 फर्जी तौर पर तैयार किया जो, इस बाबत हमारे द्वारा किसी अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत नहीं की, इस प्रकार डी. डब्लू–1

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अणदाराम की जिरह में की गई संस्वीकृति से यह तथ्य स्वीकृत है, कि मौके पर वादीगण/ अपीलांट काबिज काश्त हैं तथा भूमि का उपयोग एवं उपभोग बतौर मालिक करते रहे हैं। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं कर विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि मथरा व कानाराम एक ही हिन्दू संयुक्त परिवार से नहीं है। मथरा व काना चार पांच पीढी दूर से भाई लगते हैं। वादीगण की ओर से वंशावली गलत बताई गई है। मादाराम के पिता का नाम हमीरजी नहीं होकर भानाराम है। मथरा व कानाराम का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं था। दोनों ही अलग अलग रहते थे और वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता मथरा के नाम वक्त सेटलमेंट इन्द्राज है और वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक तक मथरा व उसके बाद प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट में कब्जा काश्त अकेला मथरा का होने के कारण उसके नाम उसके नाम इन्द्राज हुई। अपीलाधीन आराजी के संबंध में राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादी की ओर से वादीगण का वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा स्वीकार कर इकबालिया जबाव पेश किया था, ऐसा प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं किया गया था। यदि ऐसा पेश हो रखा है तो वादीगण की ओर से पेश नहीं किया गया था। यदि ऐसा पेश हो रखा है तो वादीगण की ओर से मिलीभगत करते हुए अन्य से फर्जी तौर पर पेश करवाया होगा। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई जबाव पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण/वादीगण ने हस्तगत वाद को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जबकि इस बिंदु का निस्तारण

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश किये जिसका विवेचन विधि सम्मत नहीं किया गया। राजस्व लोक अदालत में पेश दस्तावेज के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात में विधि सम्मत विवेचन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 124/2010 बउनवान तेजाराम बनाम भूराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2023 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद में कायम तनकीयात का विधि सम्मत विवेचन करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

16/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर